भारत की राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti, 246] No. 246] नई दिल्ली, मंगलबार, मई 11, 2010/बैशाख 21, 1932 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 11, 2010/VAISAKHA 21, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्विक और प्रशिक्षण विधाग) अधिसुचना

नई दिल्लो, 11 मई, 2010

सा.का.नि. 396(अ).— भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के स्वय पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतरद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियमावली, 2010 कहलाएंगे ।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "पंजाब" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पंजाब

	120
9.	(2)
	1
	1
	1
	11
	* *

(2)

वित्त आयुक्त (अपीलें-1)	
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग	Т
प्रभागायुक्त	521
आबकारी और कराधान आयुक्त	
राज्यपाल के सचिव	
सरकार के संधिव	2
मुख्यमंत्री के सचिव	
आयुक्त, राज्य परिवहन	
निदेशक, महात्मा गांधी लोक प्रशासन राज्य संस्थान	
सहकारी समितियों के पंजीयक	
आयुक्त, खाद्य, सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	
सचिव, संस्थागत वित्त और बैंकिंग तथा लोक उद्यम ब्यूरो-	
सह-सरकार के सचिव	
स्थानिक आयुक्त, पंजाब सरकार, नई दिल्ली	
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण	
आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य	
सरकार के विशेष/अपर/संयुक्त सचिव	1
निदेशक, सूचना और लोक सम्पर्क	
रुत्य परिवहन निर्देशक	
उद्योग और व्याणिज्य निदेशक	
ग्रामीण विकास और पंचायत निदेशक	
पूमि अधिलेख और बन्दोबस्त तथा चकवंदी और पूमि अधिग्रहण निदेशक	
िलेक्ट क्लिक्ट क्लिक स्टब्स्ट	

21-11-1964

दिनांक

क्र. सं

7.

संसाकाति.

1637

(1)	(2)
श्रम आयुक्त	1
रोजगार निदेशक	1
एससीबीसी के कल्याण निदेशक	1
निदेशक, महिला और बाल विकास	1
निदेशक, सूचना और प्रौद्योगिकी	1
निदेशक, विद्यालय शिक्षा	1
उद्योग अपर निदेशक	1
सरकारी समितियों के अपर निदेशक	1
नेदेशक, आबकारी और कराधान	1
निदेशक, शिकायत और पेंशन	1
उ पायुक्त	20
अपर उपायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, समेकित ग्रामीण विकास/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अपर उपायुक्त विकास	13
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
 कुल वरिष्ठ इ्यूटी पद 	120
2. सी. डी. आर उपर्युक्त मर । का 40% से अधिक नहीं	48
3. एस. डी. आर. उपर्युक्त मद 1 का 25 % से अधिक नहीं	30
 टी. आर. उपर्युक्त मर । का 3.5% से अधिक नहीं 	04
s. एल. आर. और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद। का	
16.5% से अधिक नहीं	19
भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं	67
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने कले पद (मर्दे 1+2+3+4+5-6)	154
हुल प्राधिकृत संख्या	221

[फा सं 11031/11/2009-अ.भासे-11क]

हरीश चंद्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, पंजाब संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 193 थी ।

मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की सं. का.नि.आ. टिप्पणी 2 : 3350, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक संवर्ग पंजाब संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित साकानि संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था :---

35. H	संसाकानि	दिनांक
1,	1251	29-10-1960
2	1417	3-12-1960
3.	78	21-1-1961
4.	629	5-5-1962
5.	926	14-7-1962
6.	279	16-2-1963

59 8 8-1-1966 9. 1364 10-9-1966 10. 261 4-3-1967 11. 385 25-3-1967 12 227 22-2-1975 13. 416(31) 22-6-1976 14. 155 5-2-1977 15. 1371 17-11-1979 202 23-2-1980 16. 17. 808 5-9-1981 18. 203 12-3-1983 19. 249 9-3-1985 20. 901 5-12-1987 21 1043(37) 6-12-1989 22. 223 16-5-1992 23. 404 12-9-1992 24. 319(31) 31-3-1995 25. 739(31) 31-12-1997 26. 188(अ) 24-3-2009 MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC

GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2010

G.S.R. 396(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Punjab hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 namely:-

- 1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955,

under the heading "Punjab" for the entries occurring there under, the following shall be substituted, namely:—

PUNJAB

PUNJAB	-
Senior Duty Posts under the State Government	120
(1)	(2
Chief Secretary to Government	- 1
Financial Commissioner (Development)	1
Financial Commissioner (Revenue)	
Financial Commissioner/Principal Secretary	11
Financial Commissioner (Appeals-1)	
Chief Electoral Officer and Principal Secretary, Deptt. of Elections	1
Commissioner of Divisions	4
Excise and Taxation Commissioner	1
Secretary to Governor	
Secretary to Government	22
Secretary to CM	1
Commissioner, State Transport	1
Director, Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration	1
Registrar of Cooperative Societies	1
Commissioner, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs	
Secretary, Institutional Finance and Banking and Bureau of Public Enterprises-cum-Secretary to Government	1
Resident Commissioner, Government of Punjab, New Delhi	1
Commissioner for Technical Education and Industri	ini
Training	1
Commissioner, Industries and Commerce	
Special/Addl./Joint Secretary to the Government	17
Director, Information and Public Relation	
Director of State Transport	
Director of Industries and Commerce	1
Director of Rural Development and Panchayat	1
Director of Land Records and Settlement and Consolidation and Land Acquisition	
Director of Local Government	
Labour Commissioner	
Director of Employment	
Director, Welfare of SC BC	
Director, Development of Women and Children	
Director, Information and Technology	
Director, School Education	
Additional Director of Industries	
Additional Registrar of Co-op Societies	
Director, Excise and Taxation	
Director, Grievances and Pensions	
Deputy Commissioners	2
Additional Deputy Commissioner/Joint	1
Development/Chief Executive Officer or Addl.	-
Deputy Commissioner Development	
Additional Chief Electoral Officer	

ı.	Total Senior Duty Posts	120
	(1)	(2)
2	CDR not exceeding 40% of item 1 above	48
3.	SDR not exceeding 25% of Item 1 above	30
4.	TR not exceeding 3.5% of Item 1 above	04
5.	LR and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	19
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 and 4 above	67
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	154
	Total Authorized Strength	221

[F. No. 11031/11/2009-AIS-II-A] HARISH C. RAI, Desk Officer

Note 1: Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Punjab IAS Cadre was 193.

Note 2: The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. SRO 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Punjab Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates:—

SI. No.	No. G.S.R.	Date
(1)	(2)	(3)
1.	1251	29-10-1960
2.	1417	-3-12-1960
3.	78	21-1-1961
4.	629	5-5-1962
5.	926	14-7-1962
6.	279	16-2-1963
7.	1637	21-11-1964
8.	59	8-1-1966
9.	1364	10-9-1966
10.	261	4-3-1967
11.	385	25-3-1967
12.	227	22-2-1975
13.	416(E)	22-6-1976
14.	155	5-2-1977
15.	1371	17-11-1979
16.	202	23-2-1980
17.	808	5-9-1981
18.	203	12-3-1983
19.	249	9-3-1985
20.	901	5-12-1987
21.	1043(E)	6-12-1989
22.	223	16-5-1992
23.	404	12-9-1992
24.	319(E)	31-3-1995
25.	739(E)	31-12-1997
26.	188(E)	24-3-2009

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2010

सा.का.नि. 397(अ),-अखिल पारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (बेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित बिनियम बनाती है, अर्थात् ;---

- (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन), पांचवां संशोधन नियमावली, 2010 है।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
 - भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 :—
 - (क) तालिका में "अनुसूची II-क में, रान्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतनमान के कपर के वेतन वाले पदों" में, प्रथम कॉलम में "पंजाब" प्रविध्टि नीचे आने वाली प्रविध्टियों और दसरे कॉलम में तदनरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

पंजाब		
सरकार के मुख्य सचिव	रुपए 80000 (नियत)	
वित्त आयुक्त (विकास)	रुपए 80000 (नियत)	
वित्त आयुक्त (राजस्व)	रुपए 80000 (नियत)	
वित्त आयुक्तः/प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान-67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)-79000	
वित्त आयुक्त (अपीलें-!)	एच.ए.जी. वेतनमान-67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)-79000	
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और	एच.ए.जी. वेतनमान-67000	
प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग	(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)-79000	
प्रभागायुक्त	पी.बी4 + जी.पी. रू. 10000	
आबकारी और कराधान आयुक्त	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000	
राज्यपाल के सचिव	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000	
सरकार के सचिव	पी.बी4 + जी.पी. रू. 10000	
मुख्यमंत्री के सचिव	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000	
आयुक्त, राज्य परिवहन	पी.बी4 + जी.पी. रू. 10000	
निदेशक, महात्मा गांधी लोक प्रशासन राज्य संस्थान	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000	
सहकारी समितियों के पंजीयक	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000	
आयुक्त, खाद्य, सिविल आपूर्ति और उपमोक्ता मामले	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000	
सचिव, संस्थागत वित्त और बैंकिं ग तथा लोक उद्यम ब्यूरो-सह-सरकार	पी.बी4 + जी.पी. रू. 10000	

के मचिव

पी.बी.-4 + जी.पी. रू. 10000 स्थानिक आयुक्त, पंजाब सरकार, नई दिल्ली आयक्त, तकनीकी शिक्षा और पी.बी.-4 + जी.पी. रू. 10000 औद्योगिक प्रशिक्षण आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य पी.बी.-4 + जी.पी. रू. 10000

(ख) "अनुसूची-11 भाग" में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन बाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में "पंजाव" शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्वापित किया जाएगा, अर्धात :--सरकार के विशेष/अपर/संयुक्त सचिव निदेशक, सूचना और लोक सम्पर्क राज्य परिवहन निदेशक उद्योग और वाणिज्य निदेशक ग्रामीण विकास और पंचायत निदेशक भूमि अभिलेख और बन्दोबस्त तथा चकवंदी और भूमि अधिग्रहण निदेशक निदेशक, स्थानीय सरकार श्रम आयक्त रोजगार निदेशक एससी बीसी के कल्याण निदेशक निदेशक, महिला और बाल विकास निदेशक, सूचना और प्रौद्योगिकी निदेशक, विद्यालय शिक्षा उद्योग अपर निदेशक साकारी समितियों के अपर निदेशक निदेशक, आबकारी और कराधान निदेशक, शिकायत और पेंशन उपायकत अपर उपायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, समेकित ग्रामीण विकास/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अववा अपर उपायुक्त विकास

> [फा सं 11031/11/2009-अधासे-॥-ख] हरीश चंद्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : दिनांक 19-9-2008 की संसाकानि 665(अ), दिनांक 15-4-2009 की 123(अ), दिनांक 21-7-2009 की सं. साकानि 542(अ), दिनांक 13-8-2009 की सं साकानि 572(अ), दिनांक 12-11-2009 की सं. सा.का.नि. 820, दिनांक 10-2-2010 की सं साका.नि. 72(अ), दिनांक 25-2-2010 की सं साकानि 102(अ), दिनांक 12-3-2010 की संसाकानि 191(अ) और दिनांक 8-4-2010 की सं. सा.का.नि. 298(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2010

G.S.R. 397(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Punjab hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

- (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Fifth Amendment Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Administrative Service (Pay) Rules,
 2007:—

In "Scheduled 11-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the Table, for the entry 'Punjab' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

PUNJAB

PUNJAB		
Chief Secretary to Government	Rs. 80000 (Fixed)	
Financial Commissioner (Development)	Rs. 80000 (Fixed)	
Financial Commissioner (Revenue)	Rs. 80000 (Fixed)	
Financial Commissioner/Principal Secretary	HAG Scale— 67000—(annual increment @ 3%) 79000	
Financial Commissioner (Appeals-1)	HAG Scale 67000—(annual increment @ 3%) 79000	
Chief Electoral Officer and Principal Secretary, Deptt. of Elections	HAG Scale— 67000—(annual increment @ 3%) 79000	
Commissioner of Divisions	PB-4+GP Rs. 10000	
Excise and Taxation Commissioner	PB-4+GP Rs. 10000	
Secretary to Governor	PB-4+GP Rs. 10000	
Secretary to Government	PB-4+GP Rs. 10000	
Secretary to CM	PB-4+GP Rs. 10000	
Commissioner, State Transport	PB-4+GP Rs. 10000	
Director, Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration	PB-4+GP Rs. 10000	
Registrar of Cooperative Societies	PB-4+GP Rs. 10000	

Commissioner, Food, Civil Supplies	PB-4+GP
and Consumer Affairs	Rs. 10000
Secretary, Institutional Finance and Banking and Bureau of Public Enterprises-cum-Secretary to Govt.	PB-4+GP Rs. 10000
Resident Commissioner, Govt. of	PB-4+GP
Punjab, New Delhi	Rs. 10000
Commissioner for Technical Education	PB-4+GP
and Industrial Training	Rs. 10000
Commissioner, Industries and	PB-4+GP
Commerce	Rs. 10000

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'Punjab', the following shall be substituted, namely:—

> Special/Addl./Joint Secretary to the Govt. Director, Information and Public Relation Director of State Transport Director of Industries and Commerce Director of Rural Development and Panchavat Director of Land Records and Settlement and Consolidation and Land Acquisition Director of Local Government Labour Commissioner Director of Employment Director, Welfare of SC BC Director, Development of Women and Children Director, Information and Technology Director, School Education Additional Director of Industries Additional Registrar of Co-op Societies Director, Excise and Taxation Director, Grievances and Pensions Deputy Commissioners Additional Deputy Commissioner/Joint Development Commissioner, Integrated Rural Development/Chief Executive Officer or Addl. Deputy Commissioner Development Additional Chief Electoral Officer.

> > [F. No. 11031/11/2009-AIS-II-B] HARISH C. RAI, Desk Officer

Note: The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide No. G.S.R. 213(E), dated the 20-3-2008 and subsequently were amended vide No. G.S.R. 665(E), dated 19-9-2008, 123(E), dated 15-4-2009, No. G.S.R. 542(E), dated 21-7-2009, No. G.S.R. 572(E) dated 13-8-2009, No. G.S.R. 820, dated 12-11-2009, No. G.S.R. 72(E), dated 10-2-2010, No. G.S.R. 102(E), dated 25-2-2010, No. G.S.R. 191(E) dated 12-3-2010 and No. G.S.R. 298(E) dated 8-4-2010.